दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 05 जुलाई, 2024
उदघोषित : 02 अगस्त 2024

आप.पु.या. 342/2024

पी (परिवादी)

पुत्री / एक्स वाई जेड ,
निवासी/ एक्स वाई जेड .....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री प्रभु दयाल तिवारी, श्री अजय तिवारी, श्री आसिफ इकबाल, सुश्री उन्नति अग्रवाल, श्री जियाउल हक, सुश्री हीना, श्री तरण जैन, श्री आसिफ शाहिद अली, सुश्री शिवानी भार्गव, सुश्री साक्षी भयाना, श्री आकाश अवाना और श्री आदेश तनेजा, अधिवक्तागण

बनाम

1. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**

द्वारा, थानाध्यक्ष ,
थाना महरौली,
नई दिल्ली

2. **सैयद शहनाज़ हुसैन**

पुत्र, स्वर्गीय नासिर हुसैन का,

निवासी, 15, साउथ ए एवेन्यू,
नई दिल्ली ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री अमित अहलावत राज्य के अति.लो.अभि.या./उ.नि.अर्चना
पुलिस थाना, महरौली

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय

न्या. नीना बंसल कृष्णा,

आप.वि.आ. 7749/2024

1. वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक/याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका को फिर से दाखिल करने में 40 दिनों की देरी के लिए माफी मांगता है।

2. वर्तमान आवेदन में बताए गए कारणों और आधारों के लिए, आवेदन की अनुमति है। वर्तमान याचिका को फिर से दाखिल करने में 40 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

3. वर्तमान आवेदन का निपटाnन कर दिया गया है।

आप.पु.या. 342/2024

"निर्दोष जब तक कि दोष साबित ना हो " और "तार्किक संदेह से परे अपराध साबित करने" के कठोर मानक हमारे आपराधिक न्याय प्रशासन के मूलभूत

सिद्धांत हैं।" दोषी व्यक्तियों को बरी करना, हालांकि खेदजनक है, लेकिन निर्दोष को दोषी ठहराये जाने की भयावहता से तुलनात्मक कम बुरा है। जब न्याय के नाजुक तराजू का उपयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक होता है, तो "रक्षा" का भार हमेशा "दंड" से ज्यादा होता है।

4. भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे आगे "भा.दं.सं., 1860" कहा जाएगा) की धारा 376/328/506 के तहत प्राथमिकी संख्या 85/2023 में राज्य द्वारा प्रस्तुत रद्दीकरण रिपोर्ट, विद्वान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के अनुमोदन को पूरा नहीं करती थी, जिन्होंने 10.10.2023 के सम्मन आदेश द्वारा संज्ञान लिया, जिसके खिलाफ आप. संशोधन संख्या 49/2023 विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली के समक्ष पेश की गई, जिन्होंने विद्वान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के आदेश को अलग रखा और 16.12.2023 के आदेश द्वारा रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। रद्दीकरण रिपोर्ट की स्वीकृति से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता/परिवादी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे "दं.प्र.सं., 1973" कहा जाएगा) की धारा 482 के साथ धारा 397 के तहत वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की है, ताकि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को रद्द किया जा सके और अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान लिया जा सके।

5. **संक्षेप में कहा गया** कि दिल्ली में भाजपा के धरने के दौरान *परिवादी /अभियोजक/"सुश्री पी"* (नाम पर रोक लगा दी गई) को श्री सैयद शाहनवाज

हुसैन (इसके बाद "प्रत्यर्थी संख्या 2" के रूप में संदर्भित) का फोन आया कि वे उससे मिलने के लिए रोशन टेंट हाउस, न्यू खन्ना मार्केट, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली में शाम करीब 06 बजे आयें और उसके साथ छतरपुर में उसके फार्महाउस चले, जहाँ उसके भाई और उसके भाई की पत्नी, श्रीमती लामा हुसैन भी मौजूद होंगी, ताकि उनके और उनके भाई श्री सैयद शब्बाज़ हुसैन के बीच चल रहे मतभेद/मुद्दों को सुलझाया जा सके। कथित तौर पर, जब वह प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ फार्महाउस पहुंची, तो उसे अपना मोबाइल फोन बंद करने के लिए कहा गया। इसके बाद,प्रत्यर्थी सं. 2 ने उसे कुछ खाने की चीज़ें और ठंडे पेय दिए, जिसके सेवन से वह बेहोश हो गई। स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने देर रात तक उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसने उसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए उसके स्पष्ट/यौन वीडियो प्रसारित करके उसकी छवि खराब करने की धमकी दी और उसे और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी।

6. इस प्रकार, अभियोजक/परिवादी को दिनांक 22.04.2018 को थानाध्यक्ष, थाना महरौली, नई दिल्ली और पुलिस उपायुक्त, दक्षिण दिल्ली को परिवाद दिनांक 26.04.2018 के साथ-साथ पुलिस आयुक्त को दिनांक 26.04.2018 को परिवाद द्वारा 12.04.2018 की उपरोक्त घटना की रिपोर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके तहत उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ भा.दं.सं. 1860 की धारा 376/328/506 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

7. हालाँकि, दिल्ली पुलिस को 100 और 112 नंबर पर कई बार कॉल करने और कई बार पुलिस स्टेशन बुलाए जाने के बावजूद, प्रत्यर्थी सं. 2 के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। दिल्ली बाराखंभा रोड स्थित पुलिस (सतर्कता विभाग) और पुलिस उपायुक्त, आयुक्त को की गई उसकी सभी शिकायतों के बावजूद प्रत्यर्थी सं.2 या उसे बचाने में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

8. राज्य प्राधिकारियों की निष्क्रियता से व्यथित होकर अभियोजक ने दिल्ली के साकेत न्यायालय में विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156 (3) दं.प्र.सं., 1973 सहपठित धारा 200 दं.प्र.सं., 1973 के तहत परिवाद दर्ज कराई अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर विचार करने के बाद, विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पाया कि परिवाद में लगाए गए आरोपों से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, *ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, रि.या.आप. संख्या 68/2008 के तहत तय किए गए, दिनांक 07.07.2018 के तहत जारी आदेश द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, 07.07.2018 को विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दं.प्र.सं., 1973 की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने और पीड़ित/परिवादी और आरोपी/प्रत्यर्थी सं.2 की मेडिकल जांच के निर्देश दिए। उपरोक्त आदेशों के बावजूद, पुलिस थाना अधिकारी, थाना महरौली द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बजाय, पुलिस ने

आरोपी को बचाना जारी रखा, जिससे वह पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से साकेत न्यायालय से दस्तावेजों की चोरी करने में भी सक्षम हो गया।

9. विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, साकेत न्यायालय के दिनांक 07.07.2018 के उपरोक्त आदेश को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 09.07.2018 को सत्र न्यायालय, साकेत न्यायालय, दिल्ली के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी गई थी। हालाँकि, अभियोजक को उचित नोटिस देने और मामले की सुनवाई के बाद, विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-01 (दक्षिण), साकेत न्यायालय, नई दिल्ली ने दिनांक 12.07.2018 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

10. फिर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने धारा 482 दं.प्र.सं.1973 के तहत आप.वि.वा. याचिका संख्या 3456/18 के तहत एक निरस्तीकरण याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इसे 17.08.2022 को खारिज कर दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और वि.अनु.या.(आपराधिक) संख्या 7653/2022 को 16.01.2023 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया। इस प्रकार प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने वाले साकेत न्यायालय के विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 07.07.2018 को दिए आदेश को बरकरार रखा गया।

इस प्रकार प्राथमिकी दर्ज करने के विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, साकेत न्यायालय के दिनांकित 07.07.2018 आदेश को बरकरार रखा गया।

11. वि.अनु.या. के खारिज होने पर ही थानाध्यक्ष, थाना, महरौली ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ 21.01.2023 को भा.दं.सं. 1860 की धारा 376/328/506 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिकी सं. 85/2023 को दर्ज की गयी।

12. परिवादी /याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा है कि महरौली थाने के जांच अधिकारी/थानाध्यक्ष, ने जानबूझकर परिवादी /अभियोजक को परेशान और प्रताड़ित किया था और आरोपी के साथ समझौता करने के लिए उस पर कई बार दबाव डाला था। पुलिस कर्मियों ने परिवादी /अभियोजक के गवाहों को धमकी दी और दबाव डाला; जबकि कई गवाहों को भी पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया। इसका समर्थन इस तथ्य से होता है कि एक गवाह, अर्थात् संगीता सिंह ने महरौली थाना /थानाध्यक्ष/जांच अधिकारी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक परिवाद दर्ज की है जो साकेत न्यायालय, दिल्ली में लंबित है।

13. थाना महरौली के जांच अधिकारी/थानाध्यक्ष ने प्रत्यर्थी सं.2 के अनुचित प्रभाव में आकर उसे इस मामले से बचाने की कोशिश की और विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, साकेत न्यायालय, दिल्ली के समक्ष प्राथमिकी संख्या 85/2023 में झूठी रिपोर्ट/रद्दीकरण रिपोर्ट दिनांक 25.04.2023 को दायर की।

14. परिवादी /अभियोजक द्वारा दिनांक 25.04.2023 को रद्दीकरण रिपोर्ट के विरुद्ध विद्वान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, राउज एवेन्यू न्यायालय, दिल्ली के समक्ष विरोध याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने दिनांक 10.10.2023 के आदेश के तहत परिवादी द्वारा दायर उक्त विरोध याचिका को स्वीकार कर लिया तथा जांच एजेंसी द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट को खारिज कर दिया। न्यायालय ने दिनांक 10.10.2023 के आदेश के माध्यम से परिवादी द्वारा दायर उक्त विरोध याचिका को स्वीकार कर लिया और जांच एजेंसी द्वारा दायर रद्द करने की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप, भा.दं.सं. 1860 की धाराओं के तहत संज्ञान लिया गया, जिससे आरोपी व्यक्ति को उक्त अपराधों के लिए वाद का सामना करने के लिए बुलाया गया।

15. विद्वान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के इस आदेश को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा आपराधिक संशोधन याचिका संख्या 49/2023 में सत्र न्यायालय, राउज एवेन्यू न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष चुनौती दी गई थी। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, राउज़ एवेन्यू न्यायालयों ने विद्वान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के दिनांकित 16.12.2023 के विवादित आदेश के माध्यम से दिनांकित 10.10.2023 के सम्मन आदेश को रद्द कर दिया।

16. समापन रिपोर्ट की स्वीकृति से व्यथित, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के माध्यम से इसे चुनौती दी है। परिवादी /अभियोजक ने तर्क दिया है कि

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने भौतिक तथ्यों को छुपाया है और इस न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को रिकॉर्ड पर नहीं रखा है क्योंकि उन आदेशों के अनुसार, उनकी याचिकाएं, जो अनिवार्य रूप से उन्हीं आधारों पर थीं, पहले ही खारिज कर दी गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह एक स्थापित कानून है कि बलात्कार के मामले में, चिकित्सा साक्ष्य और धारा 164 दं.प्र.सं.1973 के तहत बयान के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। हालांकि, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, राउज एवेन्यू न्यायालय, यह समझने में विफल रही हैं कि धारा 164 दं.प्र.सं. 1973 के तहत पीड़ित का बयान और पीड़ित की चिकित्सा रिपोर्ट जो अभियोजन मामले का समर्थन करती है और इसे आरोपी को बुलाने और बनाए गए अपराधों के लिए वाद के साथ आगे बढ़ने के लिए एक उपयुक्त मामला बनाती है।

17. इसके अतिरिक्त, बलात्कार के ऐसे गंभीर मामलों में, सक्षम न्यायालय द्वारा उचित और पूर्ण सुनवाई की आवश्यकता होती है और सभी साक्ष्यों के अवलोकन के बाद ही न्यायालय मामले के गुण-दोष पर निष्कर्ष निकाल सकती है।

18. याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया है कि महरौली थाना के थानाध्यक्ष और जांच अधिकारी ने मामला प्राथमिकी सं.85/2023 के लिए *उचित तरीके से जांच नहीं* की। इस तरह के गंभीर मामले में विशेष जांच दल/अपराध शाखा या डी.

आई. यू. द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि केवल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ही मामले की ठीक से जांच कर सकते हैं और आरोप पत्र दाखिल कर सकते हैं।

19. इस प्रकार, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली के दिनांक 16.12.2023 को जारी आक्षेपित आदेश पर इस आधार पर हमला किया गया है कि, सबसे पहले, दिनांकित 16.12.2023 का आक्षेपित आदेश कानूनी रूप से अनुचित, ठोस तर्क से रहित , विभिन्न कानूनी दुर्बलताओं से ग्रस्त और कानून के मानक सिद्धांतों के खिलाफ है। यह स्पष्ट रूप से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर है, अभियोजक के पक्ष में सभी दस्तावेजों, आदेशों और न्यायिक उदाहरणों को ध्यान में रखे बिना; अपराध के स्थान के बारे में भौतिक तथ्यों, जहां याचिकाकर्ता/अभियोजक के साथ बलात्कार किया गया था इसका भी मूल्यांकन नहीं किया गया है।

20. दूसरे, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे कि यदि अभियोजक के गवाही में विश्वसनीय पाई जाती है तो उसके आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है; इसके लिए किसी पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अभियोजक के मामले के समर्थन में चिकित्सा साक्ष्य और दं.प्र.सं. 1973 की धारा 164 के तहत बयान, मजबूत सबूत होने के बावजूद, पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

21. *तीसरा,* विद्वान विशेष न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे हैं कि जांच अधिकारी/थानाध्यक्ष महरौली थाना ने जानबूझकर इंडिया गेट की सीडीआर

रिपोर्ट/सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं की है, जो कि प्रत्यर्थी सं. 2 पर वाद चलाने के लिए महत्वपूर्ण सबूत है।

22. *चौथा,* जांच अधिकारी/थानाध्यक्ष, पुलिस स्टेशन महरौली, दिल्ली ने अभियोजन पक्ष के गवाहों का बयान दर्ज नहीं किया है क्योंकि पुलिस ने आरोपी व्यक्ति से रिश्वत ली है।

23. पांचवां, बलात्कार और अन्य गंभीर मामलों में वाद दायर करना अनिवार्य है, क्योंकि विचारण न्यायालय में वाद के बाद ही ऐसे गंभीर अपराध में आरोपी की संलिप्तता और कृत्य के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

24. इसलिए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार करने में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 16.12.2023 के आदेश की वैधता, शुद्धता और औचित्य को चुनौती देने के लिए दायर की गई है।

25. *इसके विपरीत, विद्वान* ***अतिरिक्त लोक अभियोजक*** *ने जोरदार ढंग से* ***तर्क*** *दिया है कि अभियोजक/परिवादी के दं.प्र.सं. 1973 की धारा 161 और 164 के तहत दिए गए बयानों और जांच के दौरान एकत्र किए गए मौखिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों में बड़ी विसंगतियां हैं। इसके अलावा, सीडीआर, लोकेशन चार्ट, सीसीटीवी फुटेज और थानाध्यक्ष/सुरक्षा अधिकारियों/गार्डों के बयानों के रूप में सबूत प्रत्यर्थी सं. 2 के मामले का समर्थन करते हैं और बिना*

किसी संदेह के स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि अभियोजक/परिवादी के साथ प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा बलात्कार किए जाने की कोई संभावना नहीं थी, जैसा कि उसने आरोप लगाया है।

26. अतः यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 16.12.2023 का आरोपित आदेश हस्तक्षेप का आधार नहीं है, क्योंकि इसे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर उचित विचार और मूल्यांकन के बाद पारित किया गया है, जो जांच के दौरान एकत्र किए गए थे, जिस पर दिनांक 25.04.2023 की रद्दीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

27. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं और रिकार्ड का अवलोकन किया गया।**

28. परिवादी /अभियोजक का मामला यह है कि 12.04.2018 पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उसे और उसके बीच चल रहे मुद्दों को हल करने के आश्वासन पर छतरपुर में अपने फार्महाउस में जाने का लालच दिया। उसका भाई, जहाँ उसने उसे मिलाया हुआ खाने का सामान दिया, जिससे वह बेहोश हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए उसने उसके साथ बलात्कार किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने तब परिवादी को धमकी दी कि उसने उसके स्पष्ट वीडियो तैयार किए हैं और वह उसकी छवि खराब करने के लिए उसे उसके रिश्तेदारों को दिखा देगा।

29. कथित घटना 12.04 2018 की थी जबकि परिवाद 22.04.2018 को *लगभग दस दिनों के* बाद की गई है। यह परिवादी /अभियोजक द्वारा समझाया

गया है जिसने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति है और हमेशा कई घोटालों में शामिल रहा है। उसने परिवादी /अभियोजक और उसके परिवार के सदस्यों को मारने की धमकी दी थी, वह एक साधारण महिला होने के नाते इस डर से उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। लंबे समय तक, परिवादी /अभियोजक अवसाद में थी और अंततः 22.04.2018 पर उसने थाना महरौली के थानाध्यक्ष के समक्ष परिवाद दर्ज की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। भा.दं.सं., 1973 की धारा 156 (3) के तहत विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट के निर्देशों के बाद ही, जिन्हें प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा भा.दं.सं., 1860 की धारा 376/328/506 के तहत दायर वि.अनु.या. को खारिज करके शीर्ष न्यायालय तक बरकरार रखा गया था, प्राथमिकी संख्या 376/328/506 1860 दर्ज की गई।

30. यह बात दोहराने की जरूरत नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को दर्ज करने में देरी, अगर कोई हो, तो उसे आसपास की परिस्थितियों के मद्देनजर समझा जाना चाहिए और अगर देरी स्पष्ट हो जाए, तो भी इसका कोई खास महत्व नहीं है और यह अभियोजक के बयान को बदनाम करने वाला कारक नहीं है। वर्तमान मामले में, भले ही परिवादी /अभियोजक ने अपनी दलीलों के अनुसार 10 दिनों के बाद परिवाद करने का साहस जुटाया हो, फिर

भी प्राथमिकी केवल न्यायालय के हस्तक्षेप से ही दर्ज हो पाई, जो सर्वोच्च न्यायालय तक पंहुच गया।

31. शुरुआत में, यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने वाला विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का आदेश शीर्ष न्यायालय तक पहुंच गया, जब तक कि उसे कोई पक्ष नहीं मिला और लगभग पांच साल बाद कथित घटना के संबंध में प्राथमिकी संख्या 12.04.2018 दर्ज की गई। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि अपराध को सर्वोच्च न्यायालय तक बरकरार रखा गया है, ऐसा करना सही नहीं है जैसा कि यह केवल प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश है जिसे बरकरार रखा गया था। यह जांच का वह बिंदु है जब सभी प्रासंगिक तथ्य एकत्र किए जाते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराध किया गया है या नहीं। याचिकाकर्ता का यह दावा कि यहां उठाए गए मुद्दे पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में बरकरार रखे जा चुके हैं, भ्रामक है।

32. याचिकाकर्ता द्वारा उजागर किया गया *पहला* पहलू यह है कि अभियोजक की एकमात्र गवाही यदि विश्वसनीय है, तो इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हो सकती है। इस तर्क को विद्वान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का समर्थन मिला, जिन्होंने इस आधार पर रद्द करने की रिपोर्ट को इस प्रकार टिप्पणी करके खारिज कर दियाः

"9. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए परिवादी ने आरोप लगाया है कि आरोपी सैयद शाहनवाज हुसैन ने उसे नशा कराकर नशे की उस हालत में उसके साथ बलात्कार किया। परिवादी द्वारा पुलिस को की गई परिवाद, परिवादी द्वारा न्यायालय को की गई परिवाद के साथ-साथ परिवादी का बयान दं.प्र.सं. 164 के तहत अवलोकित किया गया। यह देखा गया है कि परिवादी आरोपी सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ बलात्कार और धमकी के अपने आरोप को लेकर अडिग रही है। हालांकि, राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. ने तर्क दिया है कि परिवादी की सत्यता संदिग्ध है क्योंकि उसने समय बीतने के साथ अपने बयान में सुधार किया है और इसलिए यह विश्वसनीय नहीं है। राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. की उपरोक्त दलीलें ज्यादा वजनदार नहीं हैं और इस सामान्य से कारण से पूर्व-प्रभावी प्रतीत होती हैं कि इस स्तर पर, संज्ञान लेने वाली न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया अपराध किया गया है या नहीं, न कि गवाहों की प्रामाणिकता का परीक्षण करना और यह देखना कि अभियुक्त के अपराध को सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है या नहीं। यहाँ न्यायालय के समक्ष एक महिला है जो पुलिस तथा न्यायालय के समक्ष बार-बार यह कह रही है कि

उसे नशे में कर उसके साथ बलात्कार किया गया है; जब तक कि कोई ऐसा साक्ष्य अभिलेख पर न लाये जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसके साथ बलात्कार किये जाने की कोई संभावना नहीं है, इस न्यायालय के पास उसके मामले को शुरू में ही खारिज करने का कोई कारण नहीं है। धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत अभियोजक का बयान सबसे पुख्ता सबूत है, खासकर बलात्कार के मामलों में क्योंकि ऐसे जघन्य

अपराधों के लिए शायद ही कोई चश्मदीद गवाह होता है। परिवादी का बयान विश्वसनीय है या नहीं, यह तभी पता चल सकता है जब उसे न्यायालय के समक्ष जांच के लिए रखा जाएगा। अभियोजक का बयान दं.प्र.सं. की धरा 164 के अंतर्गत विशेष रूप से बलात्कार के मामलों में सबूत का सबसे निर्णायक भाग है क्योंकि इस तरह के जघन्य अपराधों का शायद ही कभी कोई चश्मदीद गवाह होता है। परिवादी का बयान विश्वसनीय है या नहीं, यह परीक्षण न्यायालय के समक्ष जांच के बाद ही पता लगाया जा सकता है।

<u>निष्कर्ष</u>

10. निरस्तीकरण रिपोर्ट, परिवादी द्वारा दायर विरोध याचिका, जांच अधिकारी द्वारा दायर विरोध याचिका का उत्तर और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री का अध्ययन करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि परिवादी ने पुलिस, न्यायालय में दं.प्र.सं. की धारा 156 (3) के तहत अपने आवेदन में और विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत अपने बयान में सुसंगत बयान दिए हैं। परिवादी के बयानों में मामूली विवाद किसी कथन पर पूरी तरह से अविश्वास का आधार नहीं हो सकता। परिवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जो दर्शाते हैं कि यदि अभियोजक की एकमात्र गवाही विश्वसनीय है, तो वह अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है, इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि अभियोजक की एकमात्र गवाही अभियुक्त को बुलाने और मामले को सुनवाई के लिए ले जाने के लिए पर्याप्त है। अपराध स्थल पर परिवादी और अभियुक्त की उपस्थिति के संबंध में रद्दीकरण रिपोर्ट दाखिल करते समय जांच

अधिकारी द्वारा उठाए गए मुद्दे ऐसे मामले हैं, जिन पर सुनवाई के दौरान निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा, इस न्यायालय का मानना है कि परिवादी के बयान और उसकी विश्वसनीयता का परीक्षण केवल वाद के दौरान ही किया जा सकता है, जब आरोपी द्वारा उससे जिरह की जाती है और इसलिए यह न्यायालय रद्दीकरण रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के आधार पर विशेष रूप से परिवादी /पीड़िता के बयान के आधार पर दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत जिसमें उसने आरोपी सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा बलात्कार और धमकी देने के अपने आरोपों का समर्थन किया है और दं.प्र.सं. की धारा 90(1)(ख) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय भा.दं.सं. की धारा 376/328/506 के तहत अपराधों का संज्ञान लेती है। ***तदनुसार, आरोपी सैयद शाहनवाज हुसैन को संबंधित थाना के उप-निरीक्षक के द्वारा अगली सुनवाई के तिथि के लिए तलब किया जाए।***

33. **इस संबंध में**, यह देखा जाना चाहिए कि विद्वान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सही ढंग से टिप्पणी की है कि अभियोजक के बयान पर पूरी तरह से अविश्वास नहीं किया जा सकता है। विद्वान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने *फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य* के मामले में निर्णयों का उल्लेख किया, जो आप.अ.सं. 1520/2021 द्वारा तय किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2021 के निर्णय, *संतोष मूल्या एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य,* आपराधिक अपील संख्या 479/2009 और *गणेशन बनाम राज्य (इसके पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व),* आपराधिक अपील

संख्या 680/2020 के माध्यम से आप0 अपील सं. 1520/2021 पर विचार किया गया, जिसमें यह देखा गया है कि पीड़ित या अभियोजन पक्ष की एकमात्र गवाही, *यदि विश्वसनीय है*, तो आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है और इसके लिए किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।

34. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने, याचिकाकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका पर विचार करते हुए, विद्वान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के दिनांक 10.10.2023 के सम्मन आदेश पर विचार करते हुए, पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सभी साक्ष्य और इसके विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचे कि रद्द करने की रिपोर्ट सही तरीके से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के एकमात्र बयान के दोषसिद्धि का आधार होने के संबंध में, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

> *"44. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ऐसा नहीं है कि अभियोक्ता के मामले में कुछ छोटे-मोटे विरोधाभास, विसंगतियां, भिन्नताएं या सुधार हैं, जैसा कि मूल रूप से उसके द्वारा दायर आपराधिक परिवाद में स्थापित किया गया था और जैसा कि बाद में धारा 161 और 164 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज किए गए उसके बयानों में पेश किया जाना था, लेकिन रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उसके द्वारा किए गए बड़े विरोधाभासों और सुधारों के बराबर हैं जो मामले की जड़ तक जाते हैं। इन बयानों में उनके द्वारा किए गए बाद के सुधार, जो कुछ भौतिक पहलुओं पर परिवाद में दिए गए उनके पहले के संस्करण के बिल्कुल विपरीत और विरोधाभासी हैं, स्पष्ट*

रूप से वृत्तचित्र और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य का मुकाबला करने के लिए किए गए थे, जिसके साथ उनका सामना इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान किया गया था। क्या अभियुक्त या अभियोजक की आवाजाही का कोई अन्य रिकार्ड मौजूद नहीं था या जांच के दौरान जांच अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं था।चीजें अन्यथा होतीं और अभियोजक का बयान या उसकी एकमात्र गवाही कथित अपराधों का संज्ञान लेने या अभियुक्त को उक्त अपराधों के लिए वाद का सामना करने के लिए बुलाने के लिए पर्याप्त हो सकती थी। हालाँकि, विद्वान एसीएमएम द्वारा इसे पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए था, इस उद्देश्य के लिए जब अन्य मौखिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्य पूरी तरह से उसके विपरीत थे और यह दिखाया कि उनके द्वारा कथित कोई भी घटना उपरोक्त तिथि पर नहीं हो सकती थी।

35. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने रद्द करने की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सही कहा है कि कानून के प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि अभियोजक की एकमात्र गवाही, यदि विश्वसनीय है, तो आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हो सकती है, *लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों का पूरा ध्यान गवाही की विश्वसनीयता पर है।*

36. कानून का यह प्रस्ताव अच्छी तरह से तय किया गया है और अभियोजक की एकमात्र गवाही दोषसिद्धि का आधार हो सकती है, लेकिन इसमें एक चेतावनी है कि यह उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला और आत्यन्तिक रूप से

विश्वसनीय होनी चाहिए। अभियोजक की गवाही की दृढ़ता और विश्वसनीयता का पता लगाने के लिए, जांच के दौरान आसपास की परिस्थितियों को समझने के लिए भी समान विचार की आवश्यकता होती है।

37. निरस्तीकरण रिपोर्ट को स्वीकार करते समय विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, *यद्यपि परिवादी या अभियोजक के बयानों में पाए गए कुछ विरोधाभास, विसंगतियां, असंगतियां या सुधार आदि को संज्ञान में लेने के प्रयोजनों को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन उन्हें प्रकृति में मामूली होना चाहिए और महत्वपूर्ण विरोधाभास और असंगतियां आदि जो मामले की जड़ तक जाती हैं या अभियोजक या पीड़ित की गवाही को प्रभावित करती हैं, जिससे घटना को ही निरस्त या नकार दिया जा सके ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, अभियोजक के बयान में विरोधाभास और सुधार आदि महत्वपूर्ण हैं और वे मामले की जड़ तक जाते हैं तथा घटना के घटित होने को ही नकारते हैं। फिर, उसका बयान जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेज और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के भी विरुद्ध है। इसके अलावा, भले ही जांच अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट में उठाए गए कुछ मुद्दे या निकाले गए निष्कर्ष वाद के दौरान निर्णय के लिए छोड़े जा सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल तभी छोड़ा जा सकता है जब अभियोजक या परिवादी द्वारा घटना का संस्करण वास्तव में सुनवाई के दौरान दिया जा रहा हो, जिसकी वर्तमान मामले में आवश्यकता नहीं थी।*

38. इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए ***मुख्य प्रश्न*** यह है *कि क्या अभियोजक/परिवादी की गवाही/बयान प्रत्यर्थी संख्या 2 को सम्मन करने और उसके खिलाफ आपराधिक वाद शुरू करने के वारंट के अनुरूप रहा है या क्या अभियोजक द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य जाँच अधिकारी गवाही की विश्वसनीयता को हिला देता है और एक गंभीर संदेह पैदा करता है कि कथित अपराध संभवतः नहीं हो सकते थे।*

39. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मामले की पृष्ठभूमि की समग्र रूप से जांच करना और घटना के इर्द-गिर्द के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना उचित होगा, जिसके कारण प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 85/2023 दर्ज की गई।

<u>रोशन टेंट हाउस, न्यू खन्ना मार्केट, लोधी कॉलोनी में अभियोजक की उपस्थितिः</u>

40. घटनाओं की पूरी श्रृंखला 12.04.2018 को शुरू हुई जब अभियोजक ने दं.प्र.सं. 1973 की धारा 161 के तहत उसके द्वारा दिए गए अपने बयान में कहा कि उसे प्रत्यर्थी संख्या 2 से एक वॉट्सऐप कॉल आया जिसमें उसे रोशन टेंट हाउस, न्यू खन्ना मार्केट, लोधी कॉलोनी में बुलाया गया। अभियोजक को उसके निवास स्थान, सेक्टर 6, द्वारका से लगभग 05:00 से 06:00 बजे के बीच राणाजी नामक व्यक्ति तथा दो अन्य व्यक्तियों ने उठा लिया तथा उसे

रोशन टेंट हाउस, न्यू खन्ना मार्केट, लोधी कॉलोनी में ले जाया गया, जहां उसे चाय और पकौड़े परोसे गए, जिससे उसे चक्कर आने लगा।

41. रद्दीकरण रिपोर्ट में यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच के दौरान, परिवादी की सीडीआर, सीएएफ और लोकेशन चार्ट प्राप्त किया गया और सीडीआर लोकेशन के अनुसार, परिवादी 12.04.2018 को सुबह 10.52 बजे से रात 10.44 बजे तक द्वारका क्षेत्र में मौजूद रही और उसके बाद, वह वसंत विहार के रास्ते नई दिल्ली की ओर बढ़ने लगी और उसकी आखिरी लोकेशन रफी मार्ग, उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन, एनआर कपड़ा मंत्रालय की बिल्डिंग में थी और इसलिए परिवादी की सीडीआर उसके आरोपों की पुष्टि नहीं करती है। *खन्ना मार्केट में परिवादी की उपस्थिति उसके अपने मोबाइल फोन के सीडीआर कॉल रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं है।*

42. उल्लेखनीय है कि एक राणाजी और दो अन्य व्यक्तियों द्वारा द्वारका में उनके आवास के पास से उठाए जाने या उन्हें रोशन टेंट हाउस, न्यू खन्ना मार्केट, लोधी कॉलोनी में लाए जाने या उनके द्वारा चाय और पकौड़े परोसे जाने का यह पूरा वर्णन उनकी प्रारंभिक परिवाद में नहीं मिलता है, जिसके अनुसार उन्हें प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा कुछ ठंडे पेय और खाद्य पदार्थ परोसे गए थे, जब वह शर्मा फार्महाउस में प्रतीक्षा कर रही थी, जिससे वह बेहोश हो गई थी। न तो राणाजी का कोई उल्लेख है कि उन्हें द्वारका से किसने उठाया, न ही फार्महाउस पहुंचने से पहले रोशन टेंट हाउस की उनकी संक्षिप्त यात्रा या

चाय और पकौड़े परोसने का कोई विवरण है जिससे *उन्हें चक्कर आया।* उल्लेखनीय है कि पहले संस्करण के अनुसार, उसे स्वयं प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा खन्ना मार्केट से उठाया गया था।

43. अपनी परिवाद में उसने दावा किया कि शर्मा फार्महाउस में उसे कोल्ड ड्रिंक्स दी गई थी और उसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। हैरानी की बात यह है कि दं.प्र.सं., 1973 की धारा 161 के तहत उसके बयान के अनुसार, उसे सबसे पहले रोशन टेंट हाउस, न्यू खन्ना मार्केट, लोधी कॉलोनी में चाय और पकौड़े परोसे गए थे, जिससे उसे नींद आ गई थी, जो उसकी शुरुआती परिवाद से काफी बेहतर है, जिसके अनुसार फार्महाउस में नशीला पदार्थ मिला हुआ नाश्ता और पेय परोसा गया था और खन्ना मार्केट में नशीला पदार्थ मिला हुआ नाश्ता परोसे जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

44. अभियोजक ने यह भी कहा कि उसका मोबाइल फोन राणाजी ने रोशन टेंट हाउस, न्यू खन्ना मार्केट, लोधी कॉलोनी में छीन लिया था। हालाँकि, परिवादी /अभियोजक ने अपनी परिवाद दिनांक 22.04.2018 में कहा था कि जब वह महरौली में शर्मा फार्महाउस पहुंची तो प्रत्यर्थी सं. 2 ने उसे अपना मोबाइल फोन बंद करने के लिए कहा था। अगर रोशन टेंट में राणाजी ने उससे मोबाइल फोन छीन लिया होता तो रोशन टेंट हाउस न्यू खन्ना मार्केट, लोधी कॉलोनी, शर्मा फार्महाउस में इसे बंद करने का कोई सवाल ही नहीं था।

45. यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जैसा कि उसकी बेहोशी की स्थिति में ही कथित बलात्कार किया गया था।

<u>सीसीटीवी फुटेज और रोशन टेंट हाउस के कार्यकर्ताओं और प्रबंधक के बयानः-</u>

46. खन्ना बाजार में उसकी उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए, जांच के दौरान जांच अधिकारी ने रोशन टेंट हाउस, न्यू खन्ना मार्केट, लोधी कॉलोनी के मालिक और प्रबंधक, श्री हिमानीश राणा और श्री उदय वीर के बयान भी दर्ज किए, सभी ने कहा कि अभियोजक रोशन टेंट हाउस, न्यू खन्ना मार्केट, लोधी कॉलोनी में 12.04.2018 पर नहीं आई थी या लायी गयी थी।

47. जांच अधिकारी ने गवाहों के बयानों की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को डीवीआर में एकत्र किया, जिसमें अभियोजक की उपस्थिति कहीं भी नहीं देखी गई। सीसीटीवी फुटेज की सामग्री से बयान पूरी तरह से पुष्ट हुए। अभियोजक का दावा कि उसे रोशन टेंट हाउस, न्यू खन्ना मार्केट, लोधी कॉलोनी ले जाया गया था, किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।

48. जांच अधिकारी ने जांच के दौरान राणाजी यानी राजीव राणा के मोबाइल का लोकेशन चार्ट भी प्राप्त किया, लेकिन राणाजी के सीडीआर और लोकेशन चार्ट ने भी याचिकाकर्ता के दावे की पुष्टि नहीं की। राणाजी का लोकेशन न्यू खन्ना मार्केट, लोधी कॉलोनी, दिल्ली के आसपास पाया गया, जब दावा किया

गया कि वह शाम करीब 05:00 से 06:00 बजे अभियोजक को लेने के लिए द्वारका गया था, ताकि उसे रोशन टेंट हाउस, न्यू खन्ना मार्केट, लोधी कॉलोनी, दिल्ली लाया जा सके या उसे शर्मा फार्महाउस ले जाया जा सके।

49. रद्दीकरण रिपोर्ट में जांच अधिकारी का निष्कर्ष है कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति रोशन टेंट हाउस के कर्मचारियों के बयानों और सीसीटीवी फुटेज से स्थापित नहीं पाई गई जो कि अच्छी तरह से किये गये एक स्वतंत्र जांच पर आधारित है।

<u>दिनांक 12.04.2018 को कथित घटना के दिन परिवादी और प्रत्यर्थी सं. 2 के स्थान चार्ट और सीडीआर:-</u>

50. जाँच अधिकारी ने लोकेशन चार्ट के साथ अभियोजक के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 के मोबाइल नंबरों की सीडीआर भी एकत्र की थी, जिससे पता चला कि उस दिन परिवादी /अभियोजक और प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। परिवादी /अभियोजक ने दं.प्र.सं., 1973 की धारा 161 के तहत अपने बयान में यह कहकर कॉल विवरण की कमी को छिपाने की कोशिश की थी कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा की गई कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से की गई थी, न कि कोई साधारण कॉल। भले ही यह एक व्हाट्सएप कॉल थी, लेकिन यह परिवादी /याचिकाकर्ता या प्रत्यर्थी सं. 2 के मोबाइल फोन में दिखाई देती, जो नहीं मिला।

51. इसके अलावा, जांच अधिकारी ने पाया कि परिवादी /याचिकाकर्ता का यह दावा कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा शर्मा फार्महाउस में उसे अपना मोबाइल फोन बंद करने के लिए कहा गया था, सीडीआर द्वारा भी पुष्टि नहीं हुई थी, जो दर्शाती है कि 12.04.2018 को, उसने कभी भी अपना मोबाइल फोन बंद नहीं किया था।

52. प्रासंगिक रूप से, इन मोबाइल फोन के लोकेशन चार्ट से यह भी पता चला कि परिवादी /याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2 अलग-अलग स्थानों पर थे और वे दोनों घटना की तिथि को एक-दूसरे से कभी नहीं मिले। लोकेशन चार्ट के अनुसार, परिवादी /याचिकाकर्ता द्वारका के अलग-अलग इलाकों में पाया गया, जबकि प्रत्यर्थी सं. 2 के मोबाइल के लोकेशन चार्ट से पता चला कि वह अशोका होटल और कभी-कभी संसद के पास मौजूद था।

53. सैयद शाहनवाज हुसैन के सी. डी. आर. के विवरण से पता चलता है कि वह अशोक रोड पर 12.04.2018 पर 11.55 सुबह तक मौजूद रहे, इसके बाद वे 12.00 से 03.05 शाम तक कनॉट प्लेस में मौजूद रहे। इसके बाद वे दोपहर 1 बजे टाउन हॉल के पास चांदनी चौक पर मौजूद रहे और वे अशोक होटल में दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे तक मौजूद पाए गए और अंत में शाम 4 बजे तक संसद भवन के सेल टावर में चले गए।

54. इस प्रकार, परिवादी /याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2 के स्थान चार्ट से पता चलता है कि वे दोनों घटना के दिन अलग-अलग स्थानों पर थे, जिससे शर्मा फार्महाउस, महरौली में उनकी एक साथ उपस्थिति असंभव हो गई थी।

55. जाँच अधिकारी ने *महरौली* में शर्मा फार्महाउस के मालिक श्री साहिल शर्मा के साथ-साथ शर्मा फार्महाउस को सुरक्षा गार्ड प्रदान करने वाली राज सुरक्षा सेवाओं के मालिक श्री नरेंद्र सिंह और *शर्मा फार्महाउस के सुरक्षा गार्ड* श्री वसीम अकबर के बयान भी दर्ज किए। विशेष रूप से, उन्होंने यह भी खुलासा किया कि 12.04.2018 को उनके फार्महाउस में न तो कोई समारोह था और न ही कोई पार्टी। उन्होंने आगे कहा कि परिवादी /अभियोजक को वे जानते भी नहीं थे। फार्म मालिक और सुरक्षा गार्डों के बयान और प्रत्यर्थी संख्या 2 के सुरक्षा अधिकारियों की आवाजाही के रिकॉर्ड से पूरी तरह से पुष्ट होते हैं।

56. इस प्रकार, जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि कथित, परिवादी और अन्य के मोबाइल फोन के सीडीआर के विश्लेषण के अनुसार, यह स्थापित होता है कि राजीव राणा और परिवादी या प्रत्यर्थी सं. 2 कभी भी 12.04.2018 को किसी भी समय एक स्थान या यहां तक कि शर्मा फार्महाउस स्थान पर नहीं पाए गए थे और यह सुरक्षा गार्ड और अन्य व्यक्तियों के बयानों से भी पुष्ट होता है, जो परिवादी के संस्करण को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है।

57. इस प्रकार, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का निष्कर्ष कि इन स्थानों पर उसे कुछ दवा या नशीले पदार्थ दिए जाने के बाद बलात्कार की घटना घटित हुई, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है, क्योंकि जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए मौखिक और साथ ही अन्य दस्तावेजी या वैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चला है कि अभियोजक और प्रत्यर्थी कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे या एक ही स्थान पर नहीं थे या कथित घटना के दिन यानी 12.04.2018 को रोशन टेंट हाउस या शर्मा फार्महाउस नहीं गए थे।

<u>प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों/गार्ड/थानाध्यक्ष के बयानः -</u>

58. इसके अलावा, दैनिक आधार पर सुरक्षा कवर के हिस्से के रूप में दो थाना अधिकारी और एक एस्कॉर्ट वाहन में चालक के अलावा चार सुरक्षा अधिकारी होते हैं। *रद्द करने की रिपोर्ट में*, यह भी प्रस्तुत किया गया है *कि* प्रत्यर्थी सं 2 को वर्ष 2018 में *'जेड श्रेणी सुरक्षा कवर' प्रदान किया गया था* और उस अवधि के दौरान दो थाना अधिकारिओं *और एक एस्कॉर्ट वाहन के साथ चालक और चार पुलिस कर्मियों को सैयद शाहनवाज हुसैन,प्रत्यर्थी संख्या 2 के सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था।*

59. जांच के दौरान जांच अधिकारी ने सुरक्षा अधिकारियों अर्थात् सहायक उप निरीक्षक ऋषि कुमार, हेड कांस्टेबल बृजमोहन, हेड कांस्टेबल संदीप, सहायक उप निरीक्षक महेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल शिव सिंह और सहायक उप निरीक्षक

कन्हैयालाल के दं.प्र.सं. 1973 की धारा 161 के तहत बयान दर्ज किए, जो प्रासंगिक तिथि पर प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ ड्यूटी पर थे, लेकिन उन सभी ने कहा कि उनमें से कोई भी उस दिन रोशन टेंट हाउस, न्यू खन्ना मार्केट, लोधी कॉलोनी, दिल्ली या महरौली में किसी भी फार्महाउस पर नहीं गया था या प्रत्यर्थी संख्या 2 ने परिवादी /याचिकाकर्ता के साथ कोई बैठक नहीं की थी। उनके बयानों के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 दोपहर 12 बजे तक अपने घर पर मौजूद था और उसके बाद 12.04.2018 को वे प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस में धरने के लिए गए, जहां वे दो घंटे तक रहे, जिसके बाद वे प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ चांदनी चौक गए और धरने में शामिल हुए और बाद में वे आसफ अली रोड स्थित कार्यालय गए और वहां से अशोक होटल गए, जहां वे 2-2.5 घंटे तक रहे।

60. इसके अलावा, गवाहों से 2018 में की गई पूछताछ के दौरान, उनके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है और इसमें 12.04.2018 को शाम 03:48 बजे कैप्चर किए गए उक्त कार्यक्रम अर्थात् *"उपवास"* का वीडियो और फोटो है और इसमें अन्य मंत्रियों के साथ सैयद शाहनवाज हुसैन की उपस्थिति दिखाई देती है।

61. प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए सुरक्षा की तैनाती और उस दिन सुरक्षा अधिकारियों के साथ उनके वाहन की आवाजाही के संबंध में बनाए गए रजिस्टर में किए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड/प्रविष्टियों से सुरक्षा अधिकारियों के बयानों की पूरी

तरह से पुष्टि होती है। प्राथमिकी दर्ज करने से पहले जांच के दौरान पूरा रिकॉर्ड एकत्र किया गया था और जांच के दौरान कुछ रिकॉर्ड जब्त किए गए थे।

62. इसके अलावा, अमरट्रा जिम अशोका होटल के अटेंडेंट श्री महेश कुमार का बयान दर्ज किया गया है और रजिस्टर से यह पुष्टि हुई है कि सैयद शाहनवाज हुसैन 12.04.2018 को रात 07:00 बजे से 08.30 बजे तक मौजूद थे, यानी घटना की कथित तिथि को प्रासंगिक समय पर अशोका होटल में प्रत्यर्थी संख्या 2 की उपस्थिति की भी पुष्टि की। प्रासंगिक समय पर फार्महाउस में प्रत्यर्थी संख्या 2 की उपस्थिति अपमानजनक है।

63. जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि उपरोक्त सामग्री और अन्य जांच के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 2 अपने निवास पर मौजूद रहा और फिर हनुमान मंदिर, कनॉट, चांदनी चौक, टाउन हॉल में दो विरोध प्रदर्शन/धरना में शामिल हुआ, जिसके बाद वह आसिफ अली रोड गया और वहां से वह शाम करीब 07:00 बजे अशोका रोड स्थित जिम गया, जिसके बाद वह वापस अपने निवास पर पहुंचा। इसलिए, वह किसी भी मामले में रोशन टेंट हाउस या शर्मा फार्महाउस में नहीं था, जैसा कि परिवादी ने आरोप लगाया है।

64. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सही टिप्पणी की है कि सुरक्षा अधिकारी जो लोक सेवक थे, के बयानों को उनके आवागमन से संबंधित रजिस्टरों के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ घटना के कथित दिन

प्रत्यर्थी संख्या 2 के आवागमन से भी समर्थन प्राप्त था; इसलिए, अपराध के घटित होने की संभावना पर विचार करते समय इसे नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए था।

<u>पिछले विवादों के संबंध में श्री सैयद शाहबाज हुसैन और श्रीमती लामा हुसैन के बयान:-</u>

65. यह सामने आया है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, 23.01.2023 को दं .प्र.सं., 1973 की धारा 161 के तहत अभियोजक का बयान जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया, जिसमें उसने प्रत्यर्थी संख्या 2 के भाई अर्थात् सैयद शाहबाज हुसैन के साथ *पहले* 2013 से *से चल रहे अपने विवादों* के बारे में खुलासा किया है। प्रासंगिक रूप से, यह उसका दावा है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के भाई, श्री सैयद शाहबाज हुसैन ने भी वर्ष 2013 में उसके साथ बलात्कार किया था, जिसके संबंध में वह प्रत्यर्थी संख्या 2 से मिली थी, जो उस समय संसद सदस्य था। परिवादी /अभियोजक ने वर्ष 2016 में दिल्ली महिला आयोग से संपर्क कर प्रत्यर्थी संख्या 2 के भाई द्वारा बलात्कार के उपरोक्त आरोप के साथ संपर्क किया था और उसने यह भी आरोप लगाया था कि धर्म परिवर्तन के कागजात पर हस्ताक्षर करके उसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया था और यहां तक कि परिवादी /अभियोजक और सैयद शाहबाज हुसैन (प्रत्यर्थी संख्या 2 के भाई) के नाम पर एक फर्जी *निकाहनामा* भी तैयार किया गया था।

66. उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के भाई से जुड़ी उक्त घटना के संबंध में, उसने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दं.प्र.सं.1973 की धारा 156 (3) के तहत परिवाद की थी, हालांकि इसे विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया था। बाद में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षण में इसकी अनुमति दी गई, लेकिन चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 को नोटिस जारी करने के साथ ऐसा ही किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने आदेश को दरकिनार कर दिया और इसे वापस भेज दिया जो विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस न्यायालय, दिल्ली के समक्ष निर्णय लंबित है।

67. हालाँकि, परिवादी /अभियोजक का पिछला इतिहास ऐसे मामलों पर विचार करते समय प्रासंगिक नहीं हो सकता है, हालाँकि, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता, अपनी प्रस्तुतियों के अनुसार, नियमित रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 से मिल रही है।

68. प्रत्यर्थी सं. 2 के भाई सैयद शाहबाज हुसैन से भी पूछताछ की गई, जिसने खुलासा किया कि परिवादी /याचिकाकर्ता ने कुछ एनजीओ के काम के लिए उसकी मदद मांगी थी जो उसने उसे दी थी और वह कुछ मौकों पर उसके घर गई थी, लेकिन अचानक उसने उसके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करना शुरू कर दिया और उसे पैसे और धोखाधड़ी के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसे झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की

धमकी भी दी। उसने उस पर अपनी पत्नी को तलाक देने और उससे शादी करने का भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब उसने उसकी अवैध मांगों को मानने से इनकार कर दिया, तो उसने महिला आयोग, दिल्ली में शादी और जबरन धर्म परिवर्तन आदि के बहाने उसके खिलाफ बलात्कार के झूठे आरोप लगाते हुए परिवाद की। उसने परिवादी/याचिकाकर्ता के साथ किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार किया।

69. उसने जाँच अधिकारी को यह भी बताया कि दबाव और धमकियों के कारण और परिवादी /अभियोजक द्वारा उसके खिलाफ परिवाद वापस लेने के वादे पर, वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया और दोनों ने 10.01.2017 को शादी कर ली, लेकिन उसने उसे ब्लैकमेल करना और धमकी देना जारी रखा और कई मौकों पर उसके घर भी गई और दृश्य खड़ा किया, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय पुलिस स्टेशन में अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गईं और उसके खिलाफ सरिता विहार और जामिया नगर पुलिस स्टेशन में कुछ प्राथमिकियां दर्ज की गईं। उसने लगातार मिल रही धमकियों तथा एक-दूसरे के खिलाफ विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा लगाये जा रहे आरोप-प्रत्यारोप के बारे में भी बताया।

70. प्रत्यर्थी संख्या 2 की पत्नी श्रीमती लामा हुसैन ने भी अभिसाक्षी रहीं और इसी तर्ज पर बयान दिया है।

71. जांच का यह हिस्सा याचिकाकर्ता के उन मुद्दों के संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए है जो उसके प्रत्यर्थी सं. 2 के भाई के साथ जुड़े हुए थें।

<u>याचिकाकर्ता द्वारा दी गई अतिरिक्त दलीलें :</u>

72. याचिका में परिवादी ने यह आधार उठाया है कि जांच अधिकारी /उप निरीक्षक पुलिस स्टेशन महरौली ने इंडिया गेट की सीडीआर रिपोर्ट/सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं की है, जो इस बात की पुष्टि करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत है कि घटना के बाद, उसे घटना के बाद आधी रात को इंडिया गेट पर छोड़ दिया गया था।

73. जांच अधिकारी ने रद्द करने की रिपोर्ट में इस पहलू को यह कहते हुए समझाया है कि उनके मोबाइल फोन के सी. डी. आर. रिकॉर्ड, जो उनके पास थे, स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इंडिया गेट पर उनकी उपस्थिति की पुष्टि लोकेशन चार्ट द्वारा नहीं की गई है। घटना की तिथि को उसे द्वारका में विभिन्न स्थानों पर देखा गया और यहां तक कि घटना के कथित समय जो कि रात 10:00 बजे से 10:30 बजे तक है, उसका सेल-आईडी स्थान 22:31:42 बजे द्वारका के सेक्टर 22 का है।

74. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, जब यह स्पष्ट है कि परिवादी पूरे दिन द्वारका में अलग-अलग स्थानों पर थी और जब परिवादी द्वारा मोबाइल नंबर से इनकार नहीं किया गया है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि मोबाइल फोन

की सीडीआर उसके स्थान को गलत तरीके से दर्शाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में दो स्थानों पर मौजूद नहीं हो सकता है, इंडिया गेट की सीसीटीवी फुटेज वर्तमान मामले में किसी भी तरह से सहायक नहीं होगी। इसके अलावा, भले ही सीसीटीवी ने इंडिया गेट पर उसकी उपस्थिति को दर्शाया हो, लेकिन यह बलात्कार की कथित घटना या कथित अपराध के घटित होने को साबित करने में कोई सहायता नहीं दे सकता था।

<u>निष्कर्ष:-</u>

75. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जांच अधिकारी द्वारा की गई संपूर्ण विस्तृत जांच का हवाला देते हुए निष्कर्ष निकाला कि परिवादी /याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों की पुष्टि जांच के दौरान एकत्र किए गए स्वतंत्र दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य से नहीं हुई। उनके दिनांक 16.12.2023 के आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

> *"45. वर्तमान युग में, जब जांच में सहायता और मार्गदर्शन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण मौजूद हैं और परीक्षण के दौरान भी, ऐसे उपकरणों द्वारा एकत्र या एकत्र किए गए साक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और किसी भी पूछताछ, जांच या परीक्षण के दौरान इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। वास्तव में, ऐसे तकनीकी साक्ष्य का साक्ष्यात्मक मूल्य मौखिक साक्ष्य की तुलना में उच्च स्तर पर होता है, जो कुछ अपराधों के किए जाने के आरोपों के समर्थन में उपलब्ध हो सकता है, जब तक कि ऐसे तकनीकी साक्ष्य किसी संदिग्ध परिस्थितियों से घिरे न हों*

या उनमें कुछ अन्य अंतर्निहित दोष न हों, जो उन्हें साक्ष्य में अग्राह्य बनाते हों या उनकी विश्वसनीयता को काफी हद तक प्रभावित करते हों। इस मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए उपरोक्त दस्तावेजी या तकनीकी साक्ष्य की विश्वसनीयता या दृढ़ता को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई तथ्य या परिस्थितियाँ नहीं पाई गई हैं, जो याचिकाकर्ता, अभियोजक और कुछ अन्य गवाहों के मोबाइल फोन के सीडीआर और लोकेशन चार्ट के रूप में हैं, उपरोक्त रद्दीकरण रिपोर्ट के माध्यम से रिकॉर्ड में आए हो। इसलिए, विद्वान् अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 03 कथित अपराधों के बारे में अभियोजक की मौखिक गवाही पर केवल विश्वास करना और उस पर कार्रवाई करना सही नहीं था, जो इस तरह के वैज्ञानिक और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के पूरी तरह से विपरीत और विरोधाभासी था।

.....

.....

49. इसलिए, उपरोक्त चर्चा में, इस न्यायालय की राय मानी जाती है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट -03 कथित अपराधों का संज्ञान लेने और याचिकाकर्ता को बलात्कार के गंभीर अपराध के लिए आरोपी के रूप में तलब करने का निर्देश देने से पहले मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों और अपने अवलोकन के लिए रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों और सामग्री पर अपने न्यायिक दिमाग को लागू करने में विफल रहा था। इसलिए, यह माना जाता है कि विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट -03 द्वारा पारित दिनांक 10.10.2023 का आक्षेपित आदेश सही, वैधानिक या उचित नहीं है क्योंकि इसे तथ्यों और कानूनी स्थिति की गलत

समझ के आधार पर पारित किया गया है और इसलिए इसे रद्द किये जाने योग्य है।

76. यह न्यायालय ध्यान देने में जल्दबाजी कर सकती है हालांकि मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट/आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के चरण में साक्ष्य का विस्तृत मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोपों के आकलन पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभियुक्त को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं। यह विचार केवल तकनीकी प्रकृति का नहीं होना चाहिए और घटनाओं के व्यापक संदर्भ का मूल्यांकन और अभियुक्त को बुलाने के निहितार्थ से गंभीर व्यक्तिगत और कानूनी परिणाम हो सकते हैं जिसमें लंबी सुनवाई भी शामिल है, अभियुक्त को बुलाने का ऐसा निर्णय महज औपचारिकता नहीं होना चाहिए, और यह निष्कर्ष निकालते समय न्यायिक विवेक का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए कि क्या कथित अपराध के लिए मुकदमा उचित है।

77. वर्तमान मामले में, जांच के दौरान एकत्र किए गए भारी स्वतंत्र दृश्यात्मक दस्तावेज और वैज्ञानिक साक्ष्य, जिसमें प्रत्यर्थी सं.2 और परिवादी कथित घटना के स्थान पर कथित घटना की तिथि पर अर्थात शर्मा फार्महाउस को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है, कथित अपराध होने की संभावना को शून्य कर दिया जाता है। इसलिए, रद्द करने की रिपोर्ट को स्वीकार करने में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के निष्कर्ष को बरकरार रखा जाना चाहिए।

78. **उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, दिनांक 16.12.2023 के आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और पुनरीक्षण याचिका को खारिज किया जाता है।**

नीना बंसल कृष्ण
(न्यायाधीश)

अगस्त 02,2024
एस.शर्मा

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*